राजस्थान सरकार
वन विभाग

प.एफ.न. 3(8)वन / 2024 जयपुर, दिनांक– 27.08.2024

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात भीलवाड़ा जिले की तहसील कोटडी में स्थित रक्षित वन खण्ड आसोप की रक्षित भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची–। एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची–।। के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू–संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में आसोप संरक्षण आरक्षिति के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची–।

क्र॰ सं॰	जिला	तहसील	वन खण्डकानाम	खसरा संख्या	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमिकावर्गीकरण
1.	भीलवाडा	कोटडी	आसोप	1628 / 1	0.2752	रक्षितवन
				888	108.9493	रक्षितवन
				899	4.4758	रक्षितवन
				958	4.7510	रक्षितवन
			योगः–		**118.4513 है0**	

अनुसूची–।।

उत्तरीसीमा : आम रास्ता व राजस्व भूमि ग्राम आसोप खसरा नं॰ 883, 884

पूर्वीसीमा : आम रास्ता खसरा नं॰ 882 व ग्राम आसोप खसरा नं॰ 868

दक्षिणी सीमा : ग्राम आसोप खसरा नं॰ 1633, 1631, 1630

पश्चिमीसीमा : सीमा ग्राम दातडा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजीसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्तअतिरिक्तमुख्य सचिव/ समस्तप्रमुख शासनसचिव/ समस्त शासनसचिव।
6. पुलिसमहानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई–गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. अति॰प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक,अजमेर ।
13. जिला कलक्टर,भीलवाडा।
14. उप वन संरक्षक, भीलवाडा।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. गार्ड पत्रावली।

//

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन (वन्यजीव) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बोक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

//

विशिष्ट शासन सचिव